कौनसा कॅरियर चुनें, कैसे करें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आदि सवालों का

अभ्यर्थी 5 मार्च, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण: इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 390 पद भरे जाएंगे। सभी नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में की जाएंगी।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से GNM या B.Sc Nursing की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण भी आवश्यक है।

आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी।

आवेदन शुल्क: सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित है। यदि आवेदन पत्र में संशोधन करना हो तो 100 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

वेतनमान व सुविधाएं: चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-6 के अंतर्गत लगभग 25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

एग्जाम गाइड

1. सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'कमला जलविद्युत परियोजना' किस राज्य में स्थापित की जा रही है?
(अ) सिक्किम (ब) असम (स) उत्तराखंड (द) अरुणाचल प्रदेश

2. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 'बैटरी पैक आधार नंबर' कितने अंकों/वर्णों का एक विशिष्ट पहचान नंबर होगा?
(अ) 21 वर्ण (ब) 10 वर्ण (स) 12 वर्ण (द) 16 वर्ण

3. जनवरी 2026 की शुरुआत में भारत ने कूटनीतिक बयानों में किस घाटी पर अपना लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय दावा दोहराया?
(अ) सियाचिन ग्लेशियर (ब) अक्साई चिन
(स) शक्सगाम घाटी (द) अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र

4. विश्व के सबसे बड़े 'ओपन-एयर थिएटर' के रूप में प्रसिद्ध 'धनु यात्रा' का उद्घाटन हाल ही ओडिशा में कहां किया गया?
(अ) राऊरकेला (ब) बरगढ़ (स) पुरी (द) संबलपुर

5. 'नेटग्रिड' को हाल ही किस डेटाबेस के साथ जोड़ा गया है ताकि आपराधिक जांच को तेज किया जा सके? (अ) आधार कार्ड (ब) पैन कार्ड डेटा (स) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (द) मतदाता पहचान पत्र

उत्तरमाला: 1.द 2.अ 3.स 4.ब 5.स

दिशाशूल: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी अथवा शिखरन या खीर खाकर, जल से भरे कलश का शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।

राहुकाल वेला: (मध्यमान से) दिन 4.30 से 6.00 तक। राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

सप्ताह के व्रत/विशेष

सोमवार, 23 फरवरी, 2026: मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश दिन 11.50 पर, गो रूपिणी छठ (बंगाल), गाडगे महाराज जयंती, रवियोग दिन 4.34 तक।

मंगलवार, 24 फरवरी, 2026: भद्रा प्रातः 7.03 से सायं 5.58 तक, नेपच्यून उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चरण 2 में प्रवेश रात्रि 10.16 पर, दुर्गाष्टमी, भौमाष्टमी, होलाष्टक प्रारंभ, दादूदयाल जयंती, वैधृति पुण्यं, अष्टाह्निका महापर्व प्रारंभ (जैन), अष्टमी तिथि क्षय, त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से प्रातः 7.03 तक, सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से दिन 3.07 तक, ज्वालामुखी योग प्रातः 7.03 से दिन 3.07 तक व पुनः प्रारंभ अंतरात्रि 4.52 से।

बुधवार, 25 फरवरी, 2026: आनंदा नवमी, श्री हरि जयंती, ब्रज में होली प्रारंभ, बरसाना होली, रोहिणी व्रत (जैन), सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि, ज्वालामुखी योग दिन 1.39 तक। रवियोग दिन 1.39 से प्रारंभ।

गुरुवार, 26 फरवरी, 2026: बुध वक्री कुंभ राशि में दिन 12.17 पर, नंदगांव होली, फागुन दशमी (उड़ीसा), रवियोग संपूर्ण दिनरात्रि।

शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026: भद्रा दिन 11.33 से रात्रि 10.33 तक, बुध अस्त पश्चिम में रात्रि 3.59 पर, आंवला एकादशी व्रत, रंगभरी ग्यारस, मुख्य मेला श्याम बाबा खाटू (राज.), रवियोग दिन 10.49 तक, कुमारयोग दिन 10.49 से रात्रि 10.33 तक। सर्वार्थसिद्धि योग दिन 10.49 से सूर्योदय तक।

शनिवार, 28 फरवरी, 2026: गोविंद द्वादशी, जयंती महा द्वादशी व्रत, मेला श्याम बाबा खाटू समाप्त (राज.), राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, त्रिपुष्कर योग, सूर्योदय से दिन 9.35 तक।

आज जन्म लेने वाले बच्चे

आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मेष होगी। सायं 5.55 तक जन्म लेने वाले बच्चों का अश्विनी नक्षत्र होगा, तदुपरांत भरणी नक्षत्र होगा। इन बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। इनके प्रथम नामाक्षर चे, चो, ला, ली, लू, ले पर रखे जा सकते हैं। मेष राशि अग्नि तत्त्व व क्षत्रिय स्वभाव राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस राशि में जन्मे बच्चे दबंग, साहसी, कुटुंब का पालन करने वाले, कार्यारंभ में रूचि रखने वाले, हमेशा सक्रिय, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, जुझारू और थोड़े जल्दबाज होते हैं। शारीरिक सौष्ठव को बनाए रखने के लिए सदा क्रियाशील रहते हैं। व्यवहार से साहसी व तेजस्वी होते हैं।

उन्नत कृषि तथा लेमनरोजा तथा पामारोजा पौधरोपण क्षेत्र के वृद्धि के संबंध में चर्चा की गई।

जीवन की शुरुआत सशक्त आधार के साथ हो सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अथिति कुटीर एवं ग्रामोद्योग

सरकार के मार्गदर्शन में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कोल

नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस: ई-नीलामी दि. 11/03/2026
क्षेत्रीय कार्यालय: शहडोल, मध्य प्रदेश
द्वितीय तल, लक्ष्मी टावर, न्यू बस स्टैंड रोड, शहडोल (म.प्र.)-484001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु 15 (पंद्रह दिन) ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है की नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति - दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	ऋणखाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति- दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग/बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धरोहर जमा राशि / बिड वृद्धि राशि
1.	1. माँ नर्मदा चिप्स गृह उद्योग प्रोप. श्रीमती मधु वर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा, (मूल उधारकर्ता), पता:- मैदा फैक्ट्री के पास, ग्राम दनना, पटवारी हल्का दुलहरा न. 19, रा. नि म. अनूपपुर विकास खंड जैतहरी, पोस्ट जमुडी, तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म प्र)-484224 2. श्रीमति मधु वर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा (मूल उधारकर्ता), पता:- वार्ड का 10, स्टेट बैंक के पास, पटवारी हल्का बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म प्र)- 484446 3. श्री मनोज कुमार वर्मा पिता श्री बीगन सिंह वर्मा (गारंटीदाता एवं संपत्ति बंधककर्ता), पता:- वार्ड का 10 स्टेट बैंक के पास, पटवारी हल्का बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र)- 484446 संबंधित शाखा: राजनगर अनुपपुर (म.प्र.), मोब न:- 7999212862	₹14,18,664/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण:- खसरा क्रमांक 494/3/1/1/2, ग्राम बिजुरी, पटवारी हल्का बिजुरी, आर आई सी बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म प्र.), भू-स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता : - श्री मनोज कुमार वर्मा पिता श्री बीगन सिंह वर्मा, चतुसीमा: उत्तर:- सरस्वती स्कूल रोड, दक्षिण:- छोटानी पाव की भूमि, पूर्व:- शिबूदास विश्वास की भूमि, पश्चिम:- हेतराम राठोर की भूमि, कुल क्षेत्रफल 1392.00 वर्ग फीट /0.013 है. उस पर निर्मित भवन, कब्जे का प्रकार :- भौतिक कब्जा (दिनांक 29.08.2025) 13.2 नोटिस की दिनांक:- 19/02/2024 13.4 नोटिस की दिनांक:- 05/07/2024	27,40,000/- 2,74,000/- 5,000/-
2.	1. श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पिता श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता:- वार्ड क्रमाक 12, ग्राम - धनगवा, थाना एव तहसील जैतहरी, जिला अनुपपुर, मध्य प्रदेश-484330 शाखा: जैतहरी जिला :-अनुपपुर (म.प्र.) मोब. न:- 8226012835	₹11,86,595/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण:- खसरा क्रमांक 1055/1/K/1/1/K/1/2, ग्राम धनगवा, पटवारी-हल्का धनगवा क्रमांक 37, राजस्व निरीक्षक - मण्डल जैतहरी, विकास खण्ड- जैतहरी, -तहसील जैतहरी जिला अनुपपुर, (म.प्र.)-484330, भू स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता :- श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा, चतुसीमा - उत्तर:- विक्रेता की शेष आराजी, दक्षिण - पी.डब्लू.डी. रोड (राज्य मार्ग), पूर्व:- पुरुषोत्तम सोनी की आराजी, पश्चिम:- अनुसुईया बाई की आराजी, कुल क्षेत्रफल - 0.020 है / 200 वर्ग मीटर एव उस पर निर्मित भवन, कब्जे का प्रकार - भौतिक कब्जा (दिनांक:- 18.09.2025) 13.2 नोटिस की दिनांक :- 30.06.2023 13.4 नोटिस की दिनांक: 13.10.2023	8,15,000/- 81,500/- 5,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात **www.centralbankofindia.bank.in** देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता **PSB Alliance** के वेबपोर्टल **https://baanknet.com** पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220 प्राधिकृत अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (**Email:recvshahro@centralbank.bank.in**) से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते है। शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण / जानकारी हेतु संबन्धित शाखा :- राजनगर (म.प्र.) मोब. न:- 79992-12862, जैतहरी (म.प्र.), मोब. न:- 82260-12835 से बैंकिंग कार्य दिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण हेतु संबन्धित शाखा से संपर्क कर दिनांक 23/02/2026 से 27/02/2026 को कर सकते है। संपत्ति पर लगने वाला बकाया संपत्ति कर (टैक्स), बिजली-पानी बिल एवं अन्य देयताओं को संपत्ति क्रेता को वहन करना होगा। उपरोक्त संबन्धित सभी ऋणियों / प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 15 (पंद्रह दिन) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक : 21.02.2025, स्थान : शहडोल (म.प्र.)

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

नागराजू ने कार्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान रोज आमंत्रित सदस्यों एवं स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए व्याख्यानों व आयोजित गतिविधियों का विवरण साझा किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विवि में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इंडियन नॉलेज सिस्टम को लागू किया जा रहा है।

की मांग को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के तीन मंत्रियों के पुतले दहन किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कफ सिरप से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार मंत्री राजेन्द्र शुक्ला, सेना अधिकारी एवं महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह तथा इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जलप्रदाय से हुई मौतों के लिए दोषी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से सोनी, जैतपुर में मनोज सिंह व केशवाही में रिहान खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर मंत्रियों के पुतले फूंके गए। धनपुरी में-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और पुतलों को आग के हवाले किया। यहां मौजूद पुलिस बल ने आग बुझाने वाले यंत्र से लपटों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

निकाय के माध्यम से विभिन्न अवसरों पर नागरिकों को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस सुविधा के माध्यम से भी सूचनाएं प्रेषित की जाती है, ताकि समय पर नागरिकों को सम्बन्धित योजनाओं की सूचनाएं मिल सकें। लगभग 1 वर्ष पहले सभी वार्डों के अलग-अलग व्हाट्सएप समूह बनाए गए हैं, उस वार्ड के पार्षद, हेल्प डेस्क के कर्मचारी और निकाय के अध्यक्ष भी समस्याएं हैं इस ग्रुप में जानकारी मिल सके। निकाय के प्रांगण क्षेत्र में निकाय के 3 वर्षों से सुझाव पेटी भी रखी गयी है ताकि समय-समय सुझाव भी निकाय को प्राप्त होता रहे और वह अपनी समस्याएं भी इस सुझाव पेटी के माध्यम से निकाय तक पहुंचा सके।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त व्यक्ति द्वारा उनकी जमीन को कौड़ियों के दाम पर बेचने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पटवारी और तहसीलदार कार्यालय तक है। इससे पीड़ित परिवार भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है।

जनसुनवाई में नागरिकों ने रखीं समस्याएं

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लोगों ने बताई परेशानी, निराकरण के दिए निर्देश

भास्कर न्यूज | राजनगर

नगर परिषद डूमरकछार प्रति सप्ताह होने वाले समीक्षा बैठक में शासन द्वारा संचालित नागरिक मूलभूत सुविधाओं को जनसामान्य में सहज उपलब्धता के लिए 21 फरवरी शनिवार को परिषद सभागार में अध्यक्ष एवं जिला योजना समिति के सदस्य डॉ. सुनील कुमार चौरसिया व जन प्रतिनिधियों सभापति महेश चौ... जितेंद्र चौहान, रवि सिंह, रंजीत वर्मा, पार्षदगण चंदा ... , सरिता यादव, पार्वती सिंह, विजेन्द्र देवांगन, पार्षद प्रतिनिधि योगेश पालीवाल के आतिथ्य मे निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक एवं जनसुनवायी आयोजित की गयी।

साप्ताहिक समीक्षा के दौरान 22 बिंदुओं पर चर्चा की गयी। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि जनमानस तक सुविधाएं आसानी से सुगमता पूर्वक पहुंच सके।

जनसुनवाई के दौरान मुन्ना, उषा जायसवाल, पूजा पाव एवं अन्य नागरिकों के द्वारा अपनी समस्याएं रखी गयीं, समीक्षा बैठक के दौरान प्रातः 10.30 से दोपहर 12.30 बजे तक जन जनसुनवाई के माध्यम से निकाय और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के समक्ष समस्याएं सुनी गयी और उसके निराकरण के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दैनिक भास्कर HELPLINE

मकान बेंचना है

चौड़ाई 63 फीट, लंबाई 105 फीट, लैटर वाले कमरों की संख्या 04, एलवेस्टर सीट वाले कमरे 02, पार्किंग, पानी, आंगन, बांउड्रीवाल के साथ अन्य सुविधा उपलब्ध है।

जैतहरी रोड स्थित तहसील कार्यालय के पास वार्ड नंबर 9 अनूपपुर जिला अनूपपुर

संपर्क- विक्रम सिंह, मोबा.- 7987280533

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिसः ई-नीलामी दि. 11/03/2026
क्षेत्रीय कार्यालयः शहडोल, मध्य प्रदेश
द्वितीय तल, लक्ष्मी टावर, न्यू बस स्टैंड रोड, शहडोल (म.प्र.)-484001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु 15(पंद्रह दिन) ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है की नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति - दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	ऋणखाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति- दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग/बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धरोहर जमा राशि / बिड वृद्धि राशि
1.	1. माँ नर्मदा चिप्स गृह उद्योग प्रोप. श्रीमती मधु वर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा, (मूल उधारकर्ता), पता:- मैदा फैक्ट्री के पास, ग्राम दमना, पटवारी हल्का दुलहरा न. 19, रा. नि म. अनूपपुर विकास खंड जैतहरी, पोस्ट जमुडी, तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)-484224 2. श्रीमति मधु वर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा (मूल उधारकर्ता), पता:- वार्ड का. 10, स्टेट बैंक के पास, पटवारी हल्का बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)- 484446 3. श्री मनोज कुमार वर्मा पिता श्री बीगन सिंह वर्मा (गारंटीदाता एवं संपत्ति बंधककर्ता), पता:- वार्ड का. 10 स्टेट बैंक के पास, पटवारी हल्का बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)- 484446 संबंधित शाखा: राजनगर अनुपपुर (म.प्र.). मोब न:- 7999212862	₹14,18,664/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण:- खसरा क्रमांक 494/3/1/1/2, ग्राम बिजुरी, पटवारी हल्का बिजुरी, आर आई सी बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.). भू-स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता : - श्री मनोज कुमार वर्मा पिता श्री बीगन सिंह वर्मा, चतुर्सीमा: उत्तर:- सरस्वती स्कूल रोड, दक्षिण:- छोटानी पाव की भूमि, पूर्व:- शिबूदास विश्वास की भूमि, पश्चिम:- हेतराम राठोर की भूमि, कुल क्षेत्रफल 1392.00 वर्ग फीट / 0.013 है. उस पर निर्मित भवन, कब्जे का प्रकार :- भौतिक कब्जा (दिनांक 29.08.2025) 13.2 नोटिस की दिनांक:- 19/02/2024 13.4 नोटिस की दिनांक:- 05/07/2024	27,40,000/- / 2,74,000/- / 5,000/-
2.	1. श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पिता श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता:- वार्ड क्रमांक 12, ग्राम - धनगवां, थाना एवं तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश-484330 शाखा: जैतहरी जिला :-अनुपपुर (म.प्र.) मोब. न:- 8226012835	₹11,86,595/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण:- खसरा क्रमांक 1055/1/K/1/1/K/1/2, ग्राम धनगवां, पटवारी-हल्का धनगवा क्रमांक 37, राजस्व निरीक्षक - मण्डल जैतहरी, विकास खण्ड- जैतहरी, -तहसील जैतहरी जिला अनुपपुर, (म.प्र.)-484330, भू स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता :- श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा, चतुर्सीमा:- उत्तर:- विक्रेता की शेष आराजी, दक्षिण:- पी.डब्लू.डी. रोड (राज्य मार्ग), पूर्व:- पुरुषोत्तम सोनी की आराजी, पश्चिम:- अनुसुईया बाई की आराजी, कुल क्षेत्रफल - 0.020 है / 200 वर्ग मीटर एवं उस पर निर्मित भवन, कब्जे का प्रकार - भौतिक कब्जा (दिनांक:- 18.09.2025) 13.2 नोटिस की दिनांक :- 30.06.2023 13.4 नोटिस की दिनांक: 13.10.2023	8,15,000/- / 81,500/- / 5,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.bank.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल https://baanknet.com पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220 प्राधिकृत अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (Email:recvshahro@centralbank.bank.in) से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते है। शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण / जानकारी हेतु संबन्धित शाखा :- राजनगर (म.प्र.) मोब. न:- 79992-12862, जैतहरी (म.प्र.), मोब. न:- 82260-12835, से बैंकिंग कार्य दिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण हेतु संबन्धित शाखा से संपर्क कर दिनांक 23/02/2026 से 27/02/2026 को कर सकते हैं। संपत्ति पर लगने वाला बकाया संपत्ति कर (टैक्स), बिजली-पानी बिल एवं अन्य देयताओं को संपत्ति क्रेता को वहन करना होगा। उपरोक्त संबन्धित सभी ऋणियों / प्रत्याभूति-दाता / जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 15 (पंद्रह दिन) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक : 21.02.2026, स्थान : शहडोल (म.प्र.) — कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India	**अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस: ई-नीलामी दि:- 11.03.2026** क्षेत्रीय कार्यालय: शहडोल मध्य प्रदेश द्वितीय तल, लक्ष्मी टावर, न्यू बस स्टैंड रोड , शहडोल , (म.प्र.) - 484001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु 15 (पंद्रह दिन) ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का भोतिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित"** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड वृद्धि राशि
1.	राजनगर अनुपपुर (म.प्र.) मोब न:- 79992 12862	1. माँ नर्मदा चिप्स गृह उद्योग प्रोप श्रीमति श्रीमति मधु वर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा **(मूल उधारकर्ता)** पता:- मैदा फैक्ट्री के पास, ग्राम-दमना, पटवारी हल्का-दुलहरा न° 19, रा° नि° म°- अनुपपुर, विकास खंड-जैतहरी, पोस्ट-जमुडी, तहसील-अनुपपुर, जिला-अनुपपुर (म.प्र.)-484224 2. श्रीमति मधु वर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा **(मूल उधारकर्ता)** 3. श्री मनोज कुमार वर्मा पिता श्री बीगन सिंह वर्मा **(गारंटीदाता / संपत्ति बंधककर्ता)** पता:- वार्ड क्रा. 10, स्टेट बैंक के पास, बिजुरी, तहसील-कोतमा , जिला अनुपपुर (म.प्र.)-484446	रु.14,18,664.00 /- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	**संपत्ति का विवरण:-** खसरा क्रा. 494/3/1/1/2, ग्राम-बिजुरी, पटवारी हल्का बिजुरी, आर.आई.सी बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनुपपुर, (म.प्र.), **भू स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता** :- श्री मनोज कुमार वर्मा पिता श्री बीगन सिंह वर्मा, **चतुसीमा:-** उत्तर:- सरस्वती स्कूल रोड, दक्षिण:- छोटानी पाव की भूमि, पूर्व:- शिबूदास विश्वास की भूमि, पश्चिम-: हेतराम राठोर की भूमि **कुल क्षेत्रफल:-** 1392.00वर्ग फीट / 0.013 हे° उस पर निर्मित भवन **कब्जे का प्रकार:-** भोतिक कब्जा (दिनांक:- 29/08/2025) ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 19/02/2024 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :- 05/07/2024	रु 27,40,000/- रु 2,74,000/- रु 5,000/-
2.	जैतहरी जिला :- अनुपपुर (म.प्र.) मोब न:- 82260 12835	1. श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा **(मूल उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता)** पता:- वार्ड क्रा. 12, ग्राम - धनगवां, थाना एवं तहसील जैतहरी, जिला अनुपपुर, मध्य प्रदेश-484330	रु.11,86,595/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	**संपत्ति का विवरण:-** खसरा क्रा. 1055/1/K/1/1/K/1/2,ग्राम – धनगवां,पटवारी- हल्का धनगवां क्रमांक – 37,राजस्व निरीक्षक मण्डल – जैतहरी, विकास खण्ड - जैतहरी, तहसील - जैतहरी , जिला अनुपपुर, (म.प्र.)-484330, **भू स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता** :-श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा, **चतुसीमा:-** उत्तर:- विक्रेता की शेष आराजी , दक्षिण:- पी.डब्लू.डी. रोड (राज्य मार्ग), पूर्व:- पुरुषोत्तम सोनी की आराजी, पश्चिम-: अनुसूईया बाई की आराजी , **कुल क्षेत्रफल:-** 0.020 हे° / 200 वर्ग मीटर एवं उस पर निर्मित भवन **कब्जे का प्रकार:-** भोतिक कब्जा (दिनांक:- 18.09.2025) ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 30.06.2023 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :- 13.10.2023	रु 8,15,000/- रु 81,500/- रु 5,000/-

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India 7005 Regional Office, Shahdol क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात **www.centralbankofindia.bank.in** देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता **PSB Alliance** के वेबपोर्टल **https://baanknet.com** पर उपलब्ध लिंक देखें।नीलामी से अन्य संबन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर **91-8291220220** , **प्राधिकृत अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (Email:recvshahro@centralbank.bank.in)** से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते **है** । शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण / जानकारी हेतु : **संबन्धित शाखा :- राजनगर (म.प्र.) मोब न:- 79992-12862 , जैतहरी (म.प्र.) मोब न:- 82260-12835** से बैंकिंग कार्य दिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण हेतु संबन्धित शाखा से संपर्क कर **दिनांक :- 23/02/2026** से **27/02/2026** को कर सकते हैं | संपत्ति पर लगने वाला बकाया संपत्ति कर (टैक्स), बिजली –पानी बिल एवं अन्य देयताओं को संपत्ति क्रेता को वहन करना होगा| उपरोक्त संबन्धित सभी ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन **15 (पंद्रह दिन)** दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है |

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
For Central Bank of India
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Auth. Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

दिनांक: 21.02.2026
स्थान: शहडोल (म.प्र)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 7005 Regional Office, Shahdol क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक :- 11/03/2026
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
11/03/2026 **समय: दोपहर 12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक**	**11/03/2026** **साँय 4.00 बजे तक**

<u>नियम एवं शर्तें</u>

1. ई-नीलामी **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित"** के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।

2. नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – **दिनांक:- 11/03/2026 को (समय: दोपहर12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी।** निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है।

3. विस्तृत विवरण को डाउनलोड़ करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल **http://www.centralbankofindia.bank.in** पर आएं अथवा ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** है।

4. निविदाकर्ता **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर विजिट कर सकते हैं जहां निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
<u>प्रथम चरण</u> : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
<u>द्वितीय चरण</u> : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच. ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
<u>तृतीय चरण</u> : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ईमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/(RTGS)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
<u>चतुर्थ चरण</u> : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वतीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।

5. ई-नीलामी प्लेटफार्म **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता-**PSB Alliance Pvt Ltd** द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय Unit 1, Third Floor, VIOS Commercial Tower, Near Wadala Truck Terminal, Wadala East , Mumbai-400037 में है. इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को इ-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्ते बैंक की वेबसाइट **http://www.centralbankofinda.bank.in, https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का PSB Alliance Pvt Ltd के पोर्टल (**https://ebikray.in (PSB**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 7005 Regional Office, Shahdol क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)

Alliance Pvt Ltd) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड़ कर सकते हैं । इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. **91-82912 20220** या **E-mail-id - support.baanknet@psballiance.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए(EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।

7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT/RTGS) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** निविदाकर्ता के ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (इएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।

8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांकः- 11/03/2026 साँय 4.00 बजे तक**।

9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।

10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।

12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम **10 मिनट** में प्रस्तुत की जाती है तो ई-नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही **10 मिनट** बढ़ जाएगा. (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**

13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का **25%**, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का **75%**, नीलामी तिथि के दिन से **15वें** दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढे हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 7005 Regional Office, Shahdol क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
5357325608	AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL	CBIN0280787 / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने मे असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुन: नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क,फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकर/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।

16. सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोडने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है. अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।

18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है. निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार,देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण,मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार,गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयतएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है,(अगर कोई हैं). आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्‌युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है. सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।

20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध **(PSB Alliance Pvt Ltd)** के वेब पोर्टल **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** और **www.centralbankofindia.bank.in** पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृतशर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।

21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्यों कि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।

22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 7005 Regional Office, Shahdol क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)

23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : **संबन्धित शाखा:- राजनगर (म.प्र.) मोब न:- 79992-12862, जैतहरी (म.प्र.) मोब न:- 82260-12835** से बैंकिंग कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध मे अन्य किसी जानकारी के लिए **श्री रामा कान्त मिश्रा (प्राधिकृत अधिकारी) (मो:-91-96930 96247), श्री हर्षित श्रीवास्तव (मो:- 91- 63878 24718) , श्री संजय कैन (मो:-91-9407586814)** , क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, **ई-मेल - recvshahro@centralbank.co.in** से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
For Central Bank of India
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Auth. Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

स्थान : शहडोल
दिनांक : 21/02/2026

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
7005
Regional Office, Shahdol
क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)